

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 330/2019

वादीगण

1 प्रहलादराम 2 भंवराराम पिसरान
पोकराराम जाति जाट निवासी खारिया
तला, भाड़खा तहसील बाड़मेर 3 चम्पा
पुत्री पोकराराम पत्नी मोहनलाल जाति
जाट निवासी चौखला तहसील बायतू
जिला बाड़मेर।

प्रतिवादीगण

1 पोकराराम पुत्र लाखाराम जाति
जाट निवासी जैताणियों की ढाणी
तहसील व जिला बाड़मेर 2 शाखा
प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा
कवास बाड़मेर।

बनाम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :- 1. श्री भोमाराम सियाग, वकील वादीगण।
2. श्री मेघाराम चौधरी, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 02/01/20

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, लाखाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि मौजा जैताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 800/706 रकबा 20.05 बीघा व खसरा संख्या 802/713 रकबा 12.19 बीघा कुल रकबा 33.04 बीघा भूमि मौजा ताजोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 872/617 रकबा 26.14 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता लाखाराम की फौतगी पर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 पोकराराम के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 पोकराराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 पोकराराम की ओर से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 पोकराराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

वादी संख्या 01 प्रहलादराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 01 प्रहलादराम द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को

दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 पोकराराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा घोषित किया जावे।



सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 पोकराराम के साथ अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 पोकराराम का हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक शाखा कवास बाडमेर के पक्ष में रहन है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जैताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 800/706 रकबा 20.05 बीघा व खसरा संख्या 802/713 रकबा 12.19 बीघा कुल रकबा 33.04 बीघा भूमि मौजा ताजोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 872/617 रकबा 26.14 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 पोकराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 पोकराराम का हिस्सा भारतीय स्टेट बैंक शाखा कवास बाडमेर में रहन है। अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फौसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



निर्णय आज दिनांक ०२/११/२० को सरें इजलास सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाडमेर

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर
पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

वादीगण

1 प्रहलादराम 2 भंवराराम
पिसरान पोकराराम जाति जाट
निवासी खारिया तला, भाड़खा
तहसील बाडमेर 3 चम्पा पुत्री
पोकराराम पत्नी मोहनलाल जाति
जाट निवासी चौखला तहसील
बायतू जिला बाडमेर।

अनवान

प्रतिवादीगण

बनाम

1 पोकराराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी
जैताणियों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर 2
शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेड बैंक शाखा कवास
बाडमेर।

दावा बाबत 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 330/2019

निर्णय दिनांक :- 03/01/20.....

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03/01/20..... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जैताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 800/706 रकबा 20.05 बीघा व खसरा संख्या 802/713 रकबा 12.19 बीघा कुल रकबा 33.04 बीघा भूमि मौजा ताजोणी गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 872/617 रकबा 26.14 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 पोकराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 पोकराराम का हिस्सा भारतीय स्टेड बैंक शाखा कवास बाडमेर में रहन है। अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह आज तारीख 03/01/20..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(नीरज मिश्र)

पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | प्लीडर की फीस | |
| 4 रूपये पर प्लीडर की फीस | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | आदेशिका की तामील | |
| 6 कमिश्नर की फीस | | कमिश्नर की फीस | |
| 7 आदेशिका की तामील | | | |
| जोड़ | | जोड़ | |

